Open Court

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
ALLAHABAD BENCH
PRAYAGRAJ

Prayragraj this the **12th** day of **February** 2021

Hon'ble Justice Mrs. Vijay Lakshmi, Member (J)
Hon'ble Mr. Tarun Shridhar, Member (A)

Original Application No. 331/01102 / 2010

1. Sunil Kumar Srivastava, aged about 43 years, Son of Shri Praduman Kumar Srivastava, Resident of H. No. 25-C-1, Badshah Nagar Railway Colony, Nishatganj, Lucknow and presently is working on the post of E.S.M. – Grade-II, under control of Chief Administrative Officer, N.E. Railway, Gorakhpur.

2. Sanjeev Saxena, aged about 41 years, son of Shri Suresh Chandra Saxena, Resident of H. No. 24/239, Sankarpuri Colony, Kanta Chinhat, and presently is working on the post of E.S.M Grade-II under control of Chief Administrative Officer, N.E. Railway, Gorakhpur. .

...Applicants

Advocate for the applicants : Shri A.D. Singh

V E R S U S

1. Union of India through the General Manager, N.E. Railway, Headquarter, Gorakhpur.

2. Chief Administrative Officer, Construction N.E. Railway, Gorakhpur.

3. Senior Personnel Officer (S.P.O), Construction, N.E. Railway, Gorakhpur.

4. Deputy Chief Signal & Telecommunication Engineer Construction, North Eastern Railway, Lucknow.

. . .Respondents

Advocate for the respondents: Shri Ajay Kumar Rai

O R D E R

Delivered by Hon'ble Justice Mrs. Vijay Lakshmi, Member (J)

Heard Shri A.D. Singh, learned counsel for the applicants and Shri Ajay Kumar Rai, learned counsel, who has appeared on behalf of the respondents and perused the record.

2. By means of the instant original application, the applicants, who are working under group 'C' category as E.S.M-Grade-II in the respondents'

department, have prayed for regularization of their services. Earlier, the applicants had approached this Tribunal by means of OA No. 1174/2009, which was disposed vide order dated 13.10.2009 (Annexure A-17 of the OA) with direction to the respondents to decide the representation of the applicants by a reasoned and speaking order in a time bound manner.

3. In compliance of the aforesaid order dated 13.10.2009, the representation of the applicants was decided by the respondents. However, it was rejected vide order dated 26.04.2010 (Annexure A-1 of the OA).

4. Learned counsel for the applicants has contended that while rejecting the representation of the applicants vide order dated 26.04.2010, the respondents did not considered the letter dated 12.10.2012 issued by the Railway Board. A copy of the letter dated 12.10.2012, has been annexed as Annexure SA-1 to the Suppl. Affidavit, which is reproduced below: -

"पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
मुख्य प्रशासनिक
अधिकारी/निर्माण
गोरखपुर

सं0 ई/59/ग्रुप सी/आ0श्र0/इंजी0/बीजी/2012 दिनांक 12.10.2012

महाप्रबंन्धक (काार्मिक)
पूर्वोत्तर रेलवे
गोरखपुर

विषयः– पूर्वोत्तर रेवले के निर्माण संगठन के चेंजर ट्रेसर, एवं अन्य ग्रप ''सी'' कर्मचारियों के ग्रुप 'सी' में सेवा नियमन के सम्बन्ध मे।

संन्दर्भः–महाप्रबंन्धक (कार्मिक) गोरखपुर का पत्र संख्या 1 का/301/5/रेलवे बोर्ड/आ0श्र0/नियमितिकरण/ IX दिनांक 7.5.2012
2.का/301/56/19/रेलवे बोर्ड संदर्भ/ ।। दिनांक 21.9.2012.

आपके सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त जनरल सेकेट्री ए0आई0आर0एफ0 के पत्र सं0 ए0आई0आर0एफ0/38(73) दिनांक 24/27.02.2012 द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे के निर्माण संगठन के आकसमिक श्रमिको की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण के अधिसूचना सं0 ई/59/2–60/नि0आ0पद/भाग–।/दिनांक 27.11.1997के आलोक मे ग्रुप ''सी'' ने सेवा नियमन हेतु उर्फ समय सम्पन्न हुई स्कीनिंग के परिणाम स्परूप सम्बन्धित को अब तक कोई रिलीफ न मिलने के सम्बन्ध में लिखा गया है।

उपरोक्त सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन के फलस्वरूप निम्नलिखित स्थिति से अवगत कराना है–

1. विषयॉकित सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड को भेजे गये इस रेलवे के पत्र संख्या ई/227/20/2/क्लास–।।।/क्लास– IV दिनांक 10/13–2–1995 के संदर्भ में रेलवे बोर्ड ने उपने पत्र संख्या ई(एनजी) ।।/92/सीएल/एनई/23/पार्ट ।। दिनांक 15.5.95 द्वारा कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण एवं सेल्फ कन्टेन्ड प्रपोजल मॉगा था। बोर्ड के उक्त पत्र के संदर्भ में इस रेलवे के पत्र संख्या ई/227/20/2/क्लास–।।।/सीएल/4/दिनांक 12.6.96 द्वारा वांछित स्पष्टीकरण भेजते हुए निर्माण संगठन के ऐसे आकस्मिक श्रामिक जो मूलतः ग्रुप ''डी' के निम्नतम वेतनमान में इनोज कियो गये थे एवं बाद में उनकी पदोन्नति नियमि कर्मचारियों के अनुपलब्धता के कारण प्रशासनिक हित में तर्दथ रूप से ग्रुप ''सी'' के विभिन्न पदों पर कर दी गयी थी, के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव बोर्ड भेजा गया कि ''वर्तमान में 63 आकस्मिक श्रमिकों का सेवा नियमन किया जाना शेष है, जिनकी सूची अनुलग्नक ''क'' संलग्नक की जा रही है। परिषद द्वारा सेवा नियमित के अनुमोदनोपरान्त इन आकस्मिक श्रामिको की खपत खुली लाइन में सीधी भर्ती के पद पर की जायेगी एवं इनका लियन वही निर्धारण किया जायेगा।'' यहॉ उल्लेखनीय है कि इस रेलवे के दिनांक 12.6.96 के उक्त पत्र के साथ बोर्ड की भेजी गई 63 आकस्मिक श्रमिको की पेपर स्कीनिंग नामित कमेटी द्वारा वर्ष 1997 में की गई थी।

2. उपरोक्त सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एनजी)।।/92/सीएल/एनई/23/पार्ट।। दिनांक 30/31.1.97 द्वारा यह निर्णय सूचित किया गया कि ऐसे व्यक्तियों जो डिप्लोमा होल्डर है को छोड़कर शेष की सेवा ओपेन लाइन में नियमित की जाये और वे ओपेन लाइन में नियन रखते हुए निर्माण संगठन में कार्य करते रहेगे। डिप्लोमा होल्डरो के बारे में यह निर्देशित किया गया कि वे आर.आर.बी. के माध्यम से जिस ग्रेड में कार्य कर रहें है तो आई. आर.ई.एस. वाल्यूम ।। के पैरा 2007(3) के अनुसार उनकी सेवा नियमित की जाये।

3. इसी बीच रेवले बोर्ड के परिपत्र संख्या ई(एनजी)।।97/आरसी–3/4 दिनांक 9.4.97 द्वारा आकस्मिक श्रमिको के ग्रुप ''सी'' वेतनमान में सेवा नियमन प्रक्रिया के लिए नीति निर्देश जारी किये गये। रेलवे बोर्ड के उक्त परिपत्र के निर्देशानुसार आकस्मिक श्रमिको को लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त एक कम्पलेन्ट के सन्दर्भ में रेलवे बोर्ड के पत्र सं0ई(एनजी)।।/92/सीएल/एन.ई./23/पार्ट.।। दिनांक 14.7.97 द्वारा इस रेलवे से कमेन्ट मॉगा था, जिसके प्रतिउत्तर में इस रेलवे के दिनांक 12.6.96 के पत्र का सन्र्दभ देते हुये मुख्य कार्मिक अधिकारी महोदय के पत्र सं0 ई/227/20/2/क्लास–।।।/सी.एल./IV दिनांक 23.3.98 द्वारा बोर्ड को लिखा गया कि – इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निर्माण संगठन में कायरत कुछ तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए अनुरोध किया गया था। इस दिशा में कार्यवाही हेतु मार्ग दर्शन के बजाय रेल–परिषद ने अपने संन्दर्भित पत्र द्वारा इनकों चतुर्थ श्रेणी में नियमित करने के लिए लिखा है। इसमें यह समस्या है कि जो कर्मचारी शुरू से त1तीय श्रेणी में कार्य कर रहे है उनको चतुर्थ श्रेणी में किस प्रकार नियमित किया जाय। अतः उपरोक्त विषय पर आवश्यक निर्देश दिया जाये।

4. इस मामले में रेलवे बोर्ड के पत्र. सं0. ई (एल.आर.)।।/2005/यू.टी. 1–58 (एनईरे) दिनांक 9.1.2006 द्वारा वॉछित पैरा वाईज टिप्पणी, जो इस रेलवे के पत्र, सं0 ई./301/31/7/1 (।।) दिनॉक 18.4.2006 द्वारा भी बोर्ड को भेजी गयी है, का भी सन्र्दभ लिया जा सकता है।

5. निर्माण संगठन के 63 आकस्मिक श्रमिक जो मूलतः ''डी'' में इनोज किये गये थे और बाद में नियमित कर्मचारियों के अनुपलब्धता के कारण प्रशासनिक हित

में ग्रुप ''सी'' के विभिन्न वेतनमान में तदर्थ रूप प्रोन्नत किये गये, के ग्रुप ''सी'' में सेवा नियमन हेतु इस रेलवे के पत्र संख्या ई/227/20/2/क्लास–।।।/सी. एल./4 दिनांक 12.6.96 द्वारा तथा इसी ममले मे पुनः बोर्ड को भेजे गये इस रेलवे के पत्र दिनांक 23.3.1998 के पत्र के पैरा 1 के (जैसा कि उपर्युक्त पैरा 3 में वर्णित है) सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड से वाछित निर्णय/आवेश प्राप्त हुआ प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में रेलवे बोर्ड पत्र सं0 ई (एन.जी.)।।/92/सी. एल./एन.ई.23/पार्ट।। दिनांक 94–97 के पैरा 3(।) के सन्दर्भ में इस कार्यालय के अधिसुचना सं0 ई./59/2/60/नि0आ0पद0/भाग–।।/दिनांक 26.11.1997 के अनुसार सम्पन्न की गई पेपर स्कीनिंग के आधार पर सम्बन्धित आकस्मिक श्रमिको की सेवा ग्रुप ''सी'' के पद (जिस पर वे उक्त पेपर स्कीनिंग के समय तदर्थ रूप से कार्यरत थे) में नियमित करने हेतु कृपया निर्णय प्रदान किया जाये, जिससे कि इस पुराने लम्बित प्रकरण का निस्तारण किया जा सके एवं औद्योगिक सम्बन्ध सौहार्दपुण बना है।

उपर्युक्त पर मुई/सर्वे एवं निर्माण महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(ऐ0के तिवारी)
बकाधि/निर्माण
कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकरी (निर्माण)"

5. Learned counsel for the applicants submitted that the applicants will be satisfied at this stage, if a direction is issued to the General Manager, N.E. Railway, Headquarter, Gorakhpur (respondent No. 1) to consider the claim of the applicants in the light of aforesaid letter dated 12.10.2021, and if they are found eligible at par with similarly situated employees, who have already been regularized, they may also be regularised.

6. Learned counsel for the respondents submitted that the request of the applicant may be again considered by the respondents in the light of aforesaid letter dated 12.10.2012.

7. In view of the limited prayer made by the learned counsel for the applicants, no useful purpose will be served in keeping this OA pending and it is disposed of finally at the admission stage, with a direction to the General Manager, N.E. Railway, Headquarter, Gorakhpur (respondent No. 1) to reconsider the matter of regularization of the applicants in the light of the letter dated 12.10.2012 and pass a reasoned and speaking order

within a period of three months from the date of receipt of certified copy of this order.

8. The order so passed, shall be communicated to the applicants by the respondents without any delay.

9. There will be no order as to costs.

10. It is made clear, that we have not expressed any opinion on the merits of the case.

(**Tarun Shridhar**)
Member (A)

(**Justice Vijay Lakshmi**)
Member (J)

Anand...